सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of orders regarding grant of DR 139% from 01.01.2012 & 151% from 01.07.2012.

Ref:- 1. Prl. Accountant General (A&E) Uttarakhand, SSA No. PA/Pen/UK/DR/2013-14/2636 Dt.18.09.2013
2. Government of Uttarakhand Finance No 155/xxvii(7)02/2012 Dt. 13.07.2012.
3. Government of Uttarakhand Finance No 306/xxvii(7)02/2012 Dt. 25.10.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

307339264 2419

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248171)
फोन नं0: 0135–2644967, फैक्स नं0: 0135–2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"

पत्रांकः पी.ए./पेंशन/राहत/उत्तराखण्ड/2013–14/2636 दिनांकः 18-9-13

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
30 SEP 2013
G.No.
आं प्र. हैदराबाद-500 004.
A.P. HYDERABAD-500 004.

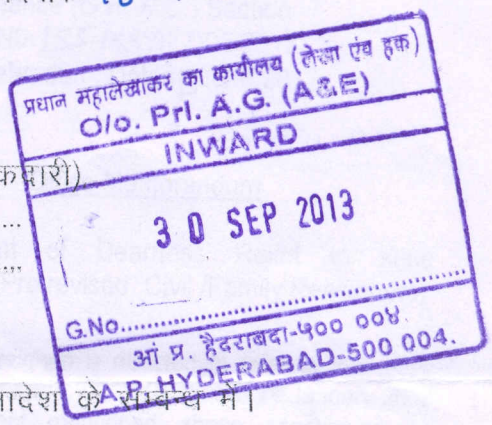

243658 21/6/17

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

विषयः उत्तराखण्ड शासन के बढ़े मंहगाई भत्ते के शासनादेश के संबन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 155/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13.06.2012 एवं 306/xxvii(7)02/2012 दिनांक 25.10.2012 को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहें उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरो को इसका लाभ मिल सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

PM

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह नेगी
लेखाधिकारी/पेंशन

9847

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 155 / XXVII(7)02 / 2012
देहरादून, दिनांक 13 जून 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 16 / XXVII(7)02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से महंगाइ राहत की 127 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 21 जनवरी,2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252 / दस / 10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूडी)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 155 /XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 13 June,2012

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-16/XXVII(7)02/2012, dated: 21 January 2012 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01-07-2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 January, 2012 to 139 %. in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 21 january,2012 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्या: 155/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3–प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढवाल/कुमाऊं मण्डल।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No.155/XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3-Principal Secretary/ Secretary,Urban Development / Public Industy Development Department, Utttrakhand Government with the request that the admiribility of D.A may be permitted it self in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance services. Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 306/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक:२५अक्टूबर 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 155/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13 जून,2012 द्वारा दिनांक 01–01–2012 से महंगाई राहत की 139 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 13 जून, 2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2012 से 151 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0- 306/XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated : October 2012
25

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to stat Government Pre revised Civil /Family Pensioners

The Undersigned is directed to refer to this offic memo No-155/XXVII(7)02/2012, dated: 13 June 201 on the subject mentioned above sanctioning a instalment of Dearness Relief with effect from 01-0 2012 and to say that the Governor is pleased to revi the rates of dearness relief admissible to all pre revise civil/family pensioners of this Government compensate them for the rise in the cost of livir beyond average consumer price index at the rate with effect from 01 July, 2012 to 151 %, in sup session of the rates mentioned in the O.M. dated: 1 June 2012 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges High Court, Chairman and Members of Uttaranch Public Service Commission, employees of local bodie and Public undertaking/corporation etc. in respect whom separate orders will have to be issued b respective departments.

4- These order will also be applicable to such teachir and non-teaching pensioners of Institutions aided fro state under the education/ Technical Educatic Department whose Pension/Family pension is at p with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3 81, dated: April 27, 1982 the Accountant Gene Authority is not necessary for payment of relief pension and as such the payment, of dearness relie admissible under, this O.M. shall be made by paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearnes relief laid down in earlier Government orders sha remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः ३०६/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2— समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3—प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपकम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4— क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

5— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9— निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव

No.306/XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhar

3-Principal Secretary/ Secretary,Ur Development / Public Industy/ Developn Department, Utttrakhand Government with request that the admiribility of D.A may permitted it self in the view of financial statu the bodies/sector and there is no nee finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance serv Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, O' Building, Saharanpur Road, Majra, Deh along with 50 extra copies with the reques account officers of other states be also infc please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorke request that 500 copies of this G.O. b printed and sent to the Govt. please.

9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pand

Addl. Secret